न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–287 / 2026

दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार वगैरह.....आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–518 / 2026

मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

देसरी थाना कांड सं0–448 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 352, 109(1), 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

25.03.2026 देसरी थाना कांड सं0–448 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 352, 109(1), 118(1), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत आवेदन सं0–287 / 2026 के आवेदकगण **दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार उम्र–27 वर्ष पेसर–घोल्टेन पासवान उर्फ अमरजीत पासवान** साकिन–डीह बुचौली, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली, **प्रमोद पासवान उर्फ प्रमोद कुमार उम्र–41 वर्ष पेसर–कलाश मुन्शी उर्फ कैलाश पासवान, सोनू कुमार उर्फ आदित्यानन्द कुमार उम्र–21 वर्ष पेसर–प्रमोद पासवान एवं मुकेश पासवान उर्फ मुकेश कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–मनोज पासवान** तीनों साकिन–सलहा, थाना–सहदेई बुजुर्ग, जिला–वैशाली एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–518 / 2026 के आवेदकगण **मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी उम्र–30 वर्ष पति–सुरज पासवान उर्फ सुरज कुमार, मोनू देवी उर्फ मोनी कुमारी उम्र–53 वर्ष पति–मुकेश पासवान उर्फ मुकेश कुमार, कविता देवी उम्र–53 वर्ष पति–मनोज पासवान, आशा देवी उर्फ आशानन्द उम्र–43 वर्ष पति–प्रमोद पासवान उर्फ प्रमोद कुमार एवं मनोज पासवान उम्र–53 वर्ष पति–क्लास मन्सी उर्फ कैलाश पासवान** सभी साकिन–सलहा, थाना–सहदुई बुजुर्ग, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदनों पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री राम स्वरूप सिंह** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत आवेदनों की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–16.12.2025 को संध्या करीब 07.00 बे सूचक का बथान जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर है, पर दो लड़के सोनू

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–287 / 2026

दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार वगैरह.....आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–518 / 2026

मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

25.03.2026

कुमार एवं दीपक पासवान पी–खाकर मोटरसाईकिल से आये और गाली देने लगे। जब सूचक का भतीजा कमलेश पासवान गाली–गलौज करने से मना किया तो उसे भी गाली देने लगे। तब सूचक बोला कि तुमलोग यहां से जाओ तो वे लोग गाली देते हुए वहां से चले गये फिर वे लोग अपने साथ प्रमोद पासवान, मनोज पासवान, मुकेश पासवान, कविता देवी, आशा देवी, मोनू देवी एवं मुन्नी देवी घर से लाठी, रड, धारदार हथियार एवं तलवार लेकर सूचक के घर पर आये और गाली देते हुए बोले कि उनलोगों को आज नहीं छोड़ेगें मार देगे। मना करने पर मुकेश पासवान, प्रमोद पासवान, मनोज पासवान एवं सोनू कुमार मारने की नियत से तलवार से हमला किये जिससे सूचक का सर, बायां बाह और दाहिना कान कट गया। कमलेश पासवान को चार बार में सर काट दिया और विजय पासवान को छः बार तलवार से सर काट दिया। जिसे देख गावं के कुछ लोग उनलोगों को सहदेई बुजुर्ग सरकारी अस्पताल ले गये जहां से तीनों लोगों की स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टर ने तीनों लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहां उसका ईलाज हुआ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में गंदी राजनीति एवं जमीनी विवाद के कारण फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढन्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109(1) का आरोप नहीं बनता है और आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचक और आवेदकगण आपस में गोतिया पट्टीदार है। निवेदित है आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–287 / 2026

दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार वगैरह.....आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–518 / 2026

मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

25.03.2026

अभियुक्त है जिन पर सूचक के साथ गाली–गलौज करने एवं तलवार से सूचक का सर, बायां हाथ, दाहिना कान काट देने एवं कमलेश पासवान और विजय पासवान को तलवार से सर काट देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06, 07 एवं 08 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 33 से विदित होता है कि उक्त कांड में तीन लोगों को जख्म कारित हुई है जिसमें जख्मी मनीष पासवान (सूचक) के जख्म को चिकित्सक द्वारा सर पर लगभग 2 इंच x ½इंच x ¼ इंच (मध्य भाग) का कटा हुआ घाव एवं बाएं कंधे पर लगभग ½इंच x ¼ इंच का खरोंच पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म एवं जख्मी विजय पासवान के जख्म को चिकित्सक द्वारा सर पर लगभग 3 इंच x ½इंच x ¼ इंच (ऑक्सीपिटल क्षेत्र) का फटा हुआ घाव पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का कठार एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म एवं जख्मी कमलेश पासवान के जख्म को चिकित्सक द्वारा सर पर लगभग 2 इंच (सामने का भाग) का टांका लगा हुआ धाव एवं बाएं अंगूठे पर लगभग ½इंच x ¼ इंच का खरोंच पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण मुकेश पासवान, प्रमोद पासवान, मनोज पासवान एवं सोनू कुमार पर तलवार से सूचक, कमलेश पासवान एवं विजय पासवान के सर पर मारकर काट देने का आरोप है और शेष आवेदकगण पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण **दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार, मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी, मोनू देवी उर्फ मोनी कुमारी, कविता देवी, आशा देवी उर्फ आशानन्द** को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण **दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार पेसर–घोल्टेन पासवान उर्फ अमरजीत पासवान, मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी पति–सुरज पासवान उर्फ सुरज कुमार, मोनू देवी उर्फ मोनी कुमारी पति–मुकेश पासवान उर्फ मुकेश कुमार, कविता देवी पति–मनोज पासवान, आशा देवी उर्फ आशानन्द पति–प्रमोद पासवान उर्फ प्रमोद कुमार** को

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–287/2026

दीपक पासवान उर्फ दीपक कुमार वगैरह.....आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–518/2026

मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

25.03.2026 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आवेदकगण मुकेश पासवान उर्फ मुकेश कुमार, प्रमोद पासवान उर्फ प्रमोद कुमार, मनोज पासवान एवं सोनू कुमार उर्फ आदित्यानन्द कुमार पर तलवार से मनीष पासवान (सूचक), कमलेश पासवान एवं विजय पासवान के सर पर मारकर काट देने का विशिष्ट आरोप है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, लगाये गये आरोप की प्रकृति, आवेदकगण के आचरण तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण **मुकेश पासवान उर्फ मुकेश कुमार पेसर–मनोज पासवान, प्रमोद पासवान उर्फ प्रमोद कुमार पेसर–कलाश मुन्शी उर्फ कैलाश पासवान, मनोज पासवान पति–क्लास मन्सी उर्फ कैलाश पासवान एवं सोनू कुमार उर्फ आदित्यानन्द कुमार पेसर–प्रमोद पासवान** का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।